न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 33/2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री जीवाराम पुत्र श्री रामाजी जाति रेबारी निवासी आमथला तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही		1. श्री अचलाराम पुत्र श्री नाथाजी जाति कुम्हार निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 2. सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रवीण कुमार शाह, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 08 दिनांक 17.05.1970 मिसल संख्या 22/2 दिनांक 01.08.1969 वर्गफीट 600 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह ने वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को गांव के मुख्य स्थान पर नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल संख्या 22/2 दिनांक 01.08.1969 व फैसला दिनांक 16.05.1970 दर्ज है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या व तारीख दायर दर्ज है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने [illegible] उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी [illegible] है । पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया [illegible] इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्प[illegible] की गई है। अप्रार्थी संख्या एक ग्राम आमथला का निवास[illegible] नहीं होकर ग्राम मुदरला का निवासी है एवं ग्राम मुदरला में उसका पक्का आवासीय मकान है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 266 के तहत 1.81 रूपये प्रति वर्गगज की दर से राशि लेकर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है विवादित भूमि सार्वजनिक स्थान नही है अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है । अप्रार्थी संख्या दो ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में नियमानुसार सम्पत्ति खरीदने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधिनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहॉ तक अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा पंचायत के प्रस्ताव के 1.81 रूपये प्रति वर्गफीट के नगण्य शुल्क से जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा । किन्तु इस प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या एक का कही पर भी पुराना कब्जा प्रस्तुत रेकर्ड से साबित नही होता है।

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, [illegible] 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा [illegible] पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, [illegible], अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने [illegible] जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की [illegible] 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 18:41:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जहां तक सार्वजनिक स्थान पर पट्टा जारी करने का कथन है के संबंध मे थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड सदर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट क्रमांक 553 दिनांक 31.01.2011 विवादित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत आमथला द्वारा वर्ष 1970 में जारी किया जाना माना गया है एवं मौके पर खाली भूमि पड़ी हुई है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में ग्राम पंचायत आमथला के मिसल संख्या 22/1 दिनांक 01.08.1969 में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 01.06.1970 में पश्चिम दिशा में सरकारी पड़त भूमि बताया गया है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि पट्टा 08 दिनांक 17.05.1970 को अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टेशुदा भूमि है। प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पट्टा संख्या 08 दिनांक 17.05.1970 से सम्बन्धित मिसल पत्रावली के प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई तो पंचायत द्वारा अपने पत्र क्रमांक 481 दिनांक 17.12.2012 में बताया गया कि उक्त पट्टे की मिसल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं वर्ष 1970 का बैठक रजिस्टर कार्यालय रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। जहां तक अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति क्रमांक 144 दिनांक 28.07.1982 का सवाल है, में पंचायत द्वारा पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण स्वीकृति दी गई है एवं द्वितिय पैरा में यह लिखा गया है कि यदि आपकी पट्टेशुदा जमीन पर किसी का कब्जा हो तो अलग से प्रार्थना पत्र पेश करें ताकि उसे हटाने की कार्यवाही की जा सके। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा 38 साल तक किसी दूसरे का कब्जा होने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अचलाराम ग्राम मुदरला का निवासी है। अचलाराम द्वारा वर्ष 1982 में ली गई निर्माण स्वीकृति का उपयोग 38 साल तक नहीं किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अचलाराम का विवादित पट्टे की भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। जबकि प्रार्थी श्री जीवाराम पुत्र श्री रामाजी द्वारा दिनांक 23.12.2010 को एक प्रार्थना पत्र कलक्टर कार्यालय सिरोही में कब्जेशुदा भूमि से बेदखल कर अनुचित व अवैध प्रयास कर बाड जलाकर कब्जा हटाने की कार्यवाही करने बाबत् धमकी देने के संबंध में प्रस्तुत किया गया जो कलक्टर कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/न्याय/10/6465 दिनांक 27.12.2010 पुलिस अधीक्षक सिरोही को भेजा गया है। माननीय न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के सम्मानपूर्वक पालना के संदर्भ मे सरपंच, ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा नियमों की अवहेलना कर 1.81 रूपये प्रति वर्गफीट की नगण्य दर पर ग्राम पंचायत आमथला के अन्य ग्राम मुदरला के व्यक्ति को पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत, आमथला को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना पाया जाता है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता का यह कथन सर्वथा गलत है। नियम 266 की उपधारा घ दिनांक 02.12.1977 को जोड़ा गया जो राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 4(ग)1 दिनांक 02.12.1977 को पृष्ठ संख्या 298 पर प्रकाशित किया गया है, जबकि पट्टा 17.05.1970 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नियम 266 के विपरीत होने से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पट्टा संख्या 08 दिनांक 17.05.1970 मिसल संख्या 22/2 दिनांक 01.08.1969 को जारी पट्टा निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner